| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नव अह हुक |
|---|---|---|
| | 6.6.17 | |

उक्त प्रकरण बिना सामंजस्य लोक अदालत भाग लेने के पर किसी कोई के पेश नहीं सामंजस्यकार कोर्ट पर सामंजस्यकार को सुनवाई सामंजस्यकार की रिपोर्ट अनुसार करी का बाद लंबित नहीं रखा की इनलिये वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इनलिये वादी का वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार रखकर बाद जाता सीवल रखकर रखे।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर